न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– चतुर्थ, मधेपुरा

B.P. No.-218/2026

Bihariganj P.S Case No-471/2025

उपस्थित :– धीरेन्द्र कुमार राय
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV
व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा।

01. मुकेश कुमार उम्र करीब 35 वर्ष पिता योगेन्द्र रजक

साकिन –बभनगामा, वार्ड नं0–8, थाना–बिहारीगंज, जिला–मधेपुरा।

.....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार.....प्रतिपक्षी

30.03.2026 **आवेदक अभियुक्त दिनांक 06/02/2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।** काराधीन अभियुक्त मुकेश कुमार पे0 योगेन्द्र रजक की ओर से दिनांक–11.03.2026 को बी.एन.एस.एस. की धारा–483 के अन्तर्गत दाखिल नियमित जमानत आवेदन आज सुनवाई एवं आदेश हेतु निर्धारित है। मामले में मूल अभिलेख प्राप्त है। पीठ लिपिक के द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किया गया। जमानत आवेदन की प्रति पूर्व में विद्वान लोक अभियोजक को दी गयी है।

जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए काराधीन अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषिकेश कुमार का यह कथन है कि आवेदक अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष हैं। आवेदक अभियुक्त को इस वाद में ग्रामीण राजनीति के तहत झूठा फँसाया गया है। आवेदक अभियुक्त तथाकथित कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक अभियुक्त के पास से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। आवेदक अभियुक्त का अग्रिम जमानत या नियमित जमानत आवेदन माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया और न ही लंबित है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 06.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः आवेदक अभियुक्त को नियमित जमानत की सुविधा दी जाय।

विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा आवेदक अभियुक्त के द्वारा दाखिल जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि सूचक कृष्ण कुमार सिंह घटना के समय बिहारीगंज थाना में थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित थे। दिनांक 19/11/2025 समय करीब 16:25 बजे एस.टी.एफ पटना टीम के द्वारा STAW/SOG-12 टीम के द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर सूचक को सूचित किया गया कि पचास हजार रूपया के इनामी अपराधकर्मी बमबम कुमार अपने अन्य साथियों के साथ बभनगामा चौक के समीप देखा गया है, जो बड़े अपराध को अंजाम देने वाला है। सूचक

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– चतुर्थ, मधेपुरा

B.P. No.-218/2026

Bihariganj P.S Case No-471/2025

30.03.2026 के द्वारा एक टीम का गठन कर सशस्त्र बल के साथ सूचना अनुसार दिये गये स्थान पर समय करीब 16:55 बजे पहुॅचे तो देखे कि पुलिस वाहन देखकर मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति भागने लगा। जिसे शस्त्र बल के सहयोग से बेलाही नहर पुल के पास से दो व्यक्ति को अपाचे मोटरसाइकिल सहित पकड़ लिया गया तथा एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्ति भागने में सफल रहा। पकड़ाये व्यक्ति से नाम पूछने पर एक ने अपना नाम बमबम कुमार तथा दूसरे ने अपना नाम शिवम कुमार बताया। पकड़ाये व्यक्ति बमबम कुमार से भागने वाले व्यक्ति का नाम पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि भागने वाले व्यक्ति का नाम गगन कुमार एवं मुकेश कुमार (आवेदक अभियुक्त) है तथा तीसरे का नाम नहीं बताये। पुलिस कारवाई को देखकर अगल–बगल के लोग जमा हो गए। सूचक के द्वारा जमा लोगों में से दो व्यक्ति को साक्षी बनने के लिए अनुरोध किया गया तो कोई भी व्यक्ति साक्षी बनने के लिए तैयार नहीं हुए। तब सूचक के द्वारा पुलिस बल में से ही चौकीदार चंदन पासवान एवं बसंत पासवान को साक्षी बनाते हुए पकड़ाये व्यक्ति बमबम कुमार के शरीर का तलाशी लिया गया तो उसके बाएं कमर से लोहे का बना एक लोड्ेड देशी कट्टा जिसे अनलोड करने पर एक मिस फायर कारतूस तथा पहने हुए जैकेट से स्क्रीन टच मोबाइल तथा शिवम् कुमार के पैंट के बाएं पॉकेट से एक जिंदा कारतूस एवं ओ0पो0 कंपनी का स्क्रीन टच मोबाइल एवं एक अपाचे मोटरसाइकिल रजि0 सं0–BR43AD-2753 बरामद हुआ है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रकट होता है कि आवेदक अभियुक्त एवं सह–अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धाराऐं–310(4) एवं 310(5) एवं धारा–25(1-B) (a), 26, 35 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से विदित होता है कि मामले में आवेदक अभियुक्त का नाम पकड़ाये सह–अभियुक्त के बयान से इस वाद में आया है। आवेदक अभियुक्त के पास से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। कांड दैनिकी के पारा–4 में वादी का पुनः बयान अंकित है। कांड दैनिकी के पारा–2 में जब्ती सूची का उल्लेख किया गया है। कांड दैनिकी के पारा–6, 91 में जब्ती सूची के गवाहों का बयान अंकित है। कांड दैनिकी के पारा–94 में आपराधिक इतिहास का उल्लेख किया गया है, जिसमें आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से दो केस बिहारीगंज थाना कांड सं0–50/2022 एवं 252/2025 दर्ज है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 06/02/2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वाद की परिस्थतियों एवं आवेदक अभियुक्त के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– चतुर्थ, मधेपुरा

B.P. No.-218/2026

Bihariganj P.S Case No-471/2025

30.03.2026

अतः आवेदक अभियुक्त मुकेश कुमार की ओर की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन मो0 10,000/– रूपये के बंध–पत्र के दो समान राशि के प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत **स्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(धीरेन्द्र कुमार राय)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ
मधेपुरा